अनुदान संख्या 102 – जल संसाधन मंत्रालय
GRANT No. 102–MINISTRY OF WATER RESOURCES

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*2,00*	*. .*	*–2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*2,00*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	732,65,00	732,66,00	580,31,43	–152,34,57
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				–141,40,09
पूंजीगत:	**Capital:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*3,50,00*	*7,22*	*–3,42,78*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*3,35,00*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	57,01,00	58,54,00	57,03,11	–1,50,89
पूरक	Supplementary	1,53,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *2.00 लाख रु.* का *विनियोग* दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंतत: अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised under two heads and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	8500.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–8500.00			
मुख्य शीर्ष "2701" मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	Major Head "2701" Major and Medium Irrigation				
मू.	O.	17261.00	16229.85	15898.06	–331.79
पु.	R.	–1031.15			
मुख्य शीर्ष "2702" लघु सिंचाई	Major Head "2702" Minor Irrigation				
मू.	O.	14277.00	12549.45	12133.39	–416.06
पु.	R.	–1727.55			
मुख्य शीर्ष "2705" कमान क्षेत्र विकास	Major Head "2705" Command Area Development				
मू.	O.	400.00	290.35	257.30	–33.05
पु.	R.	–109.65			
मुख्य शीर्ष "2711" बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी	Major Head "2711" Flood Control and Drainage				
मू.	O.	6306.00	10324.55	10108.78	–215.77
पु.	R.	4018.55			
मुख्य शीर्ष "3075" अन्य परिवहन सेवाएं	Major Head "3075" Other Transport Services				
मू.	O.	2398.00	2325.79	2268.61	–57.18
पु.	R.	–72.21			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	22800.00	16132.49	16104.19	–28.30
पु.	R.	–6667.51			

(I) 9301.00 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षो के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 9200.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552'' - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान''- 8500.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को संबंधित कार्यात्मक शीर्षो से पूरा किए जाने के लिए पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आंशिक उपयोग किए जाने और व्यपगत न होने वाले केन्द्रीय पूल को शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2711'' - "बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय - मोकामा तल क्षेत्र सहित देश में जल निकासी व्यवस्था में सुधार''- 200.00 लाख रु. स्कीम का अनुमोदन देर से मार्च, 2004 में किए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601'' - "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - बाढ़ नियंत्रण - अन्य अनुदान - लालबकेया, कमला, बागमती और खंडो नदियों पर तटबंधों का विस्तार''- 500.00 लाख रु. पहले जारी की गई राशियों के उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2701'' - "सामान्य'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षो के अंतर्गत हुईं:-

(I) Provision of Rs.9301.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.9200.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552"- "Other Expenditure– Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region & Sikkim" – Rs.8500.00 lakhs - due to utilisation of part funds by re-appropriation for meeting expenditure on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim from the concerned functional heads and surrender of balance amount to the non-lapsable Central Pool.

(B) Major Head "2711"- "Flood Control - Other Expenditure - Improvement of Drainage in the country including Mokama Tal Area"– Rs.200.00 lakhs - due to late approval of the scheme in March, 2004.

(C) Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes - Flood Control - Other Grants – Extension of embankments on Lalbakeya, Kamla, Bagmati and Khando Rivers"- Rs.500.00 lakhs - due to non-receipt of utilisation certificates for earlier releases.

(II) Under Major Head "2701"- "General" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''अनुसंधान''-

(क) ''केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केन्द्र''- 121.94 लाख रु. की बचत (939.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा दुबारा मंगाए जाने की वजह से मशीनरी और उपस्करों के लिए संसाधनों का कम उपयोग किए जाने और साथ ही नए लघु निर्माण कार्यों को शुरू किए जाने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम''- 564.04 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गैर-सरकारी संगठनों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त न होने की वजह से ताजा जल वर्ष के अंतर्गत कार्यकलाप शुरू न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''सर्वेक्षण और अन्वेषण - राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण''- 139.21 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने संबंधी कार्य शुरू करने के लिए अभिकरण की पहचान करने में विलंब होने के कारण हुई।

(गा) ''अन्य व्यय''-

(क) ''भारत में बांध सुरक्षा और पुनर्वास के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग में सुविधाओं और कौशल का उन्नयन''- 136.64 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीमों की स्वीकृति देर से किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''कम्प्यूटरीकरण/सूचना प्रणाली का उन्नयन और आधुनिकीकरण''- 190.00 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बोलीदाताओं से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त न होने, जिसके परिणामस्वरूप हार्डवेयर/साफ्टवेयर की खरीद के कई मामलों में दुबारा निविदाएं मंगवाए जाने के कारण हुई।

(ग) ''जलाशय अवसादन, नदी आकारिकी और अन्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग संबंधी अध्ययन''- 109.57 लाख रु. की बचत (345.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान

(A) "Research" -

(a) "Central Soil and Materials Research Station" – saving of Rs.121.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.939.00 lakhs) was due to less utilisation of resources for machinery and equipments owing to re-tendering and also due to less utilisation of funds by Central Public Works Department for starting new minor works.

(b) "Research and Development Programmes"– saving of Rs.564.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to non-undertaking of activities under Fresh Water Year owing to poor response from NGOs.

(B) "Survey and Investigation - National Water Development Agency"- saving of Rs.139.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to delay in identifying agency for taking up work relating to preparation of detailed project reports.

(C) "Other Expenditure"-

(a) "Upgradation of facilities and skills in Central Water Commission regarding dam safety and rehabilitation in India"– saving of Rs.136.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to late clearance of schemes.

(b) "Upgradation and Modernisation of Computerisation/Information System"– saving of Rs.190.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to poor response from bidders leading to tenders being reinvited in number of cases for purchases of Hardware/ Software.

(c) "Studies on Reservoir Sedimentation, River Morphology and other Remote Sensing Applications" – saving of Rs.109.57 lakhs (against the sanctioned provision of

की तुलना में) जलाशय अध्ययन के लिए बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2702'' - "भू जल - अन्वेषण'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) "भूमिगत जल को कृत्रिम रूप से पुनः भरा जाना''- 1267.32 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भू जल के कृत्रिम रूप से पुनः भरे जाने संबंधी पुनर्गठित स्कीम को योजना आयोग और आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "भूमिगत जल का सर्वेक्षण, खोज और अन्वेषण''- 1145.25 लाख रु. की बचत (7200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्याप्त भंडार उपलब्ध होने की वजह से उपस्करों की कम खरीद किए जाने और ड्रिलिंग मशीन की खरीद को अंतिम रूप देने में विलंब होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2705'' - "अन्य व्यय - कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन'' के अंतर्गत 110.65 लाख रु. की बचत (121.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को अनुमोदन देर से प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2711'' - "बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(क) "अन्य स्कीमें'''- 206.84 लाख रु. की बचत (627.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिहार सरकार द्वारा पूर्व में जारी की गई धनराशि के उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने की वजह से कोसी और गंडक परियोजनाओं के बाढ़ रोधी निर्माण कार्य संबंधी अनुरक्षण स्कीम के अंतर्गत कम धनराशि जारी किए जाने के कारण हुई।

(ख) "पंचेश्वर बहु-प्रयोजन परियोजना''- 144.96 लाख रु. की बचत (360.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नेपाल सरकार द्वारा अनुमोदन में विलंब होने की वजह से कम अन्वेषण कार्य किए जाने के कारण हुई।

Rs.345.00 lakhs) was due to non-receipt of bills for reservoir studies.

(III) Under Major Head "2702" - "Ground Water – Investigation" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Artificial Recharge of Ground Water"- saving of Rs.1267.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to non-approval of restructured scheme on Artificial Recharge of Ground Water by Planning Commission and Cabinet Committee on Economic Affairs.

(B) "Ground Water Survey, Exploration and Investigations" – saving of Rs.1145.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7200.00 lakhs) was due to less purchase of equipments owing to availability of sufficient stock and delay in finalising purchase of drilling machine.

(IV) Under Major Head "2705" – "Other Expenditure - Evaluation studies of Command Area Development Projects" – saving of Rs.110.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.121.00 lakhs) was due to late approval of scheme.

(V) Under Major Head "2711"- "Flood Control- Other Expenditure"- savings occurred under the following heads:-

(a) "Other Schemes" - saving of Rs.206.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.627.00 lakhs) was due to less releases under the scheme Maintenance of Flood Protection Works of Kosi and Gandak Projects owing to non-furnishing of utilisation certificates of earlier releases by the Bihar Government.

(b) "Pancheswar Multi-purpose Project" – saving of Rs.144.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.360.00 lakhs) was due to less investigation works owing to delayed approval by the Nepal Government.

(ग) "बंगलादेश और पड़ोसी देशों को बहने वाली सामूहिक नदियों पर संयुक्त प्रेक्षक''- 156.87 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सामूहिक नदियों पर संयुक्त प्रेक्षण के लिए दोनों ओर के कर्मचारियों द्वारा कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(घ) "अंतर्वाह पूर्वानुमानों सहित भारत में बाढ़ पूर्वानुमान तंत्र की स्थापना और आधुनिकीकरण''- 202.40 लाख रु. की बचत (785.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) टेलीमीटरी प्रणाली के आयात के लिए औपचारिकताएं पूरी न किए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "3075'' - "नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्य - फरक्का परियोजनाएं - फरक्का बांध'' के अंतर्गत 147.10 लाख रु. की बचत (1969.40 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष "3601'' - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(क) "कमान क्षेत्र विकास - अन्य अनुदान - कमान क्षेत्र विकास''- 5655.29 लाख रु. की बचत (19800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(ख) "बाढ़ नियंत्रण - अन्य अनुदान - गंगा घाटी वाले राज्यों में संकटकालीन अपरदन रोधी निर्माण कार्य''- 314.51 लाख रु. की बचत (1250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पश्चिम बंगाल सरकार से पूर्व में जारी की गई धनराशियों के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VIII) नौ शीर्षों के अंतर्गत 590.51 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से लगभग 100 प्रतिशत तक थीं।

3.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2702'' - "भूमिगत जल - अन्वेषण - जल विज्ञान परियोजना'' के अंतर्गत

(c) "Joint Observation on rivers common to Bangladesh and neighbouring countries" – saving of Rs.156.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to fewer tours by officials of both sides for joint observation on common rivers.

(d) "Establishment & Modernisation of Flood Forecasting Network in India including inflow forecasts" – saving of Rs.202.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.785.00 lakhs) was due to non-completion of the formalities for import of Telemetry System.

(VI) Under Major Head "3075" - "River Training Works - Farakka Projects - Farakka Barrage" - saving of Rs.147.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1969.40 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(VII) Under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(a) "Command Area Development - Other Grants - Command Area Development" - saving of Rs.5655.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.19800.00 lakhs) was due to late approval of the scheme.

(b) "Flood Control - Other Grants - Critical Anti-erosion Works in Ganga Basin States"– saving of Rs.314.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1250.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates for earlier releases from West Bengal Government.

(VIII) Under nine heads savings of Rs.590.51 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 13 percent to nearly 100 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (Rs.205.69 lakhs) utilised for augmenting the provision by

पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढाने के लिए आंशिक रूप से (205.69 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध- II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 208.90 लाख रु. था।

re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure - II to Supplementary Demands for Grants under Major Head "2702" - "Ground Water - Investigation - Hydrology Project". Actual excess, however, was Rs.208.90 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) The savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2701'' - "सामान्य - आंकड़ा संग्रहण - केन्द्रीय जल आयोग''- 235.61 लाख रु. का अधिक व्यय (4297.07 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आश्वासित कैरियर प्रोन्नति के मामलों को अंतिम रूप दिए जाने और छुट्टी यात्रा रियायत पर लगा प्रतिबंध उठा लिए जाने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2701" – "General – Data Collection – Central Water Commission" – excess of Rs.235.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4297.07 lakhs) was due to finalisation of Assured Career Progression cases and lifting of ban on leave travel concession.

(खा) मुख्य शीर्ष "2711'' - "बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय''- अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(क) "केन्द्रीय जल आयोग''- 233.63 लाख रु. का अधिक व्यय (2753.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आश्वासित कैरियर प्रोन्नति के मामलों को अंतिम रूप दिए जाने और छुट्टी यात्रा रियायत पर लगा प्रतिबंध उठा लिए जाने के कारण हुआ।

(ख) "ब्रह्मपुत्र बोर्ड''- 1780.58 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) "हैरेंज जल निकासी स्कीम''- 1012.71 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(घ) "असम में मजूली द्वीप के लिए नई स्कीमें, दिहांग परियोजना आदि''- 1773.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(B) Major Head "2711" – "Flood Control – Other Expenditure" – excess occurred under the following heads:-

(a) "Central Water Commission" – excess of Rs.233.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2753.00 lakhs) was due to finalisation of Assured Career Progression cases and lifting of ban on leave travel concession.

(b) "Brahmaputra Board"- excess of Rs.1780.58 lakhs (against nil provision);

(c) "Harrange Drainage Scheme" – excess of Rs.1012.71 lakhs (against nil provision); and

(d) "New Schemes for Majuli Island in Assam, Dihang Project etc." - excess of Rs.1773.00 lakhs (against nil provision).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए स्कीम के अंतर्गत उपयोग करने के लिए मुख्य शीर्ष "2552'' से निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above three heads was due to reappropriation of funds from Major Head "2552" for utilisation under the scheme for meeting the expenditure for the benefit of North Eastern Region.

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत 196.99 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत से 102 प्रतिशत तक था।

(III) Under three heads excess of Rs.196.99 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 19 percent to 102 percent of the sanctioned provision.

4.(I) अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

4.(I) In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष / Head			कुल अनुदान या विनियोग / Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय / Actual expenditure	बचत– / Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "7601" *राज्य सरकारों को कर्ज तथा अग्रिम*	Major Head "7601" *Loans and Advances to State Governments*				
मू.	*O.*	*300.00*	. .	. .	. .
पु.	*R.*	*–300.00*			

(I) *300.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "7601" - *"योजनेतर स्कीमों के लिए कर्ज - बाढ़ नियंत्रण - अन्य कर्ज - पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में आकस्मिक बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए विशेष कर्ज सहायता"* के अंतर्गत पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकारों द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *Rs.300.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "7601" - *"Loans for Non-Plan Schemes - Flood Control - Other Loans - Special Loan assistance for emergent flood protection works in the Eastern and Western Sectors"* - due to non-furnishing of utilisation certificates by Governments of Punjab and West Bengal.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (150.89 लाख रु.) फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 153.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 99 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

5. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (Rs.150.89 lakhs) constituted 99 percent of the supplementary grant of Rs.153.00 lakhs obtained in February, 2004 and 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head:-

मुख्य शीर्ष "4711" बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4711" Capital Outlay on Flood Control Projects				
मू.	O.	300.00	280.00	178.19	–101.81
पु.	R.	–20.00			

(I) 1.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) "बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय - केन्द्रीय जल आयोग" के अंतर्गत 121.81 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय भवन के निर्माण के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) Under "Flood Control - Other Expenditure- Central Water Commission" – saving of Rs.121.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to less utilisation of funds by Central Public Works Department for construction of office building.